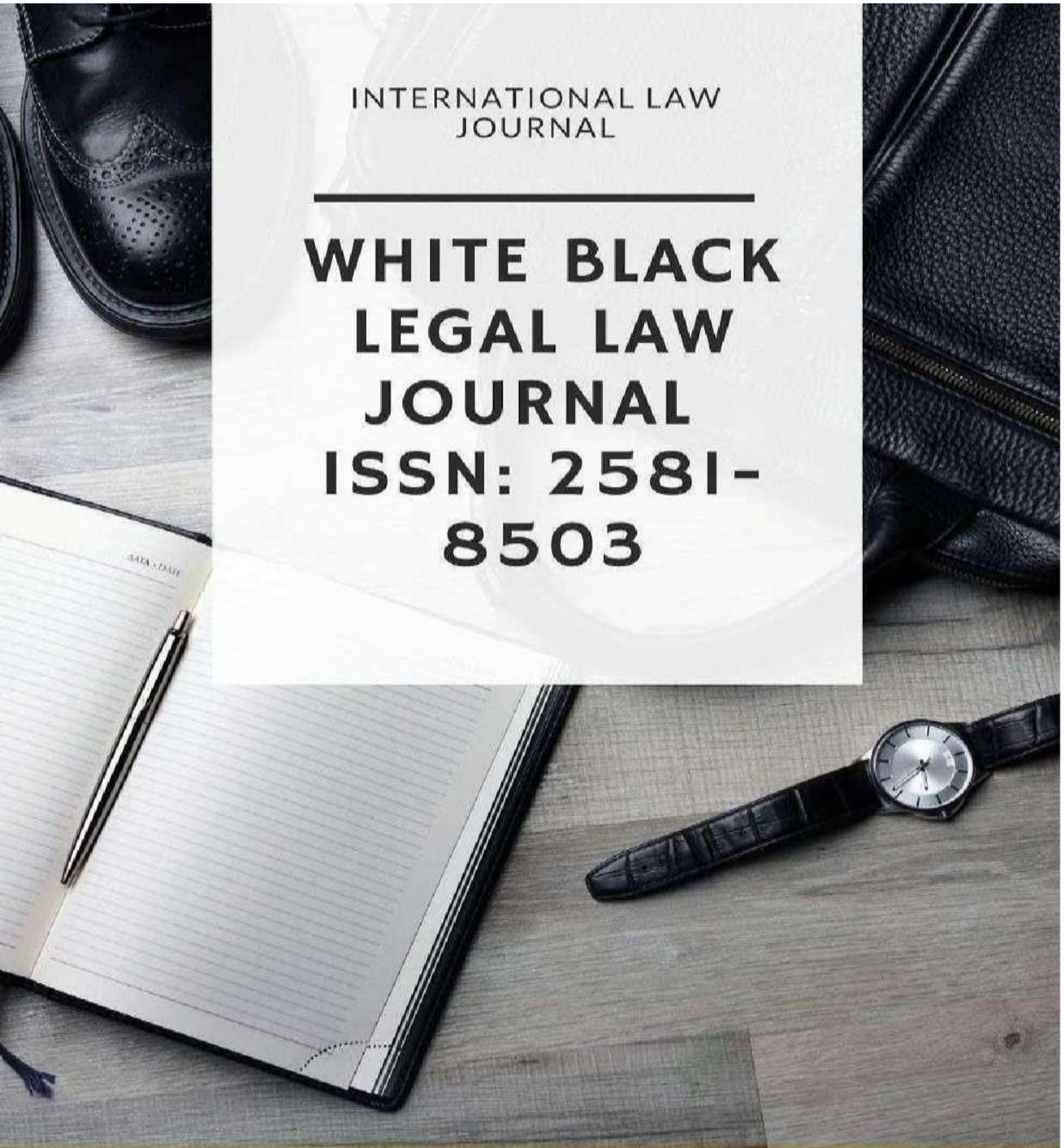

INTERNATIONAL LAW JOURNAL

WHITE BLACK LEGAL LAW JOURNAL

ISSN: 2581-8503

Peer - Reviewed & Refereed Journal

The Law Journal strives to provide a platform for discussion of International as well as National Developments in the Field of Law.

WWW.WHITEBLACKLEGAL.CO.IN

DISCLAIMER

No part of this publication may be reproduced, stored, transmitted, translated, or distributed in any form or by any means—whether electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise—without the prior written permission of the Editor-in-Chief of *White Black Legal – The Law Journal*.

All copyrights in the articles published in this journal vest with *White Black Legal – The Law Journal*, unless otherwise expressly stated. Authors are solely responsible for the originality, authenticity, accuracy, and legality of the content submitted and published.

The views, opinions, interpretations, and conclusions expressed in the articles are exclusively those of the respective authors. They do not represent or reflect the views of the Editorial Board, Editors, Reviewers, Advisors, Publisher, or Management of *White Black Legal*.

While reasonable efforts are made to ensure academic quality and accuracy through editorial and peer-review processes, *White Black Legal* makes no representations or warranties, express or implied, regarding the completeness, accuracy, reliability, or suitability of the content published. The journal shall not be liable for any errors, omissions, inaccuracies, or consequences arising from the use, interpretation, or reliance upon the information contained in this publication.

The content published in this journal is intended solely for academic and informational purposes and shall not be construed as legal advice, professional advice, or legal opinion. *White Black Legal* expressly disclaims all liability for any loss, damage, claim, or legal consequence arising directly or indirectly from the use of any material published herein.

ABOUT WHITE BLACK LEGAL

White Black Legal – The Law Journal is an open-access, peer-reviewed, and refereed legal journal established to provide a scholarly platform for the examination and discussion of contemporary legal issues. The journal is dedicated to encouraging rigorous legal research, critical analysis, and informed academic discourse across diverse fields of law.

The journal invites contributions from law students, researchers, academicians, legal practitioners, and policy scholars. By facilitating engagement between emerging scholars and experienced legal professionals, *White Black Legal* seeks to bridge theoretical legal research with practical, institutional, and societal perspectives.

In a rapidly evolving social, economic, and technological environment, the journal endeavours to examine the changing role of law and its impact on governance, justice systems, and society. *White Black Legal* remains committed to academic integrity, ethical research practices, and the dissemination of accessible legal scholarship to a global readership.

WHITE BLACK
LEGAL

AIM & SCOPE

The aim of *White Black Legal – The Law Journal* is to promote excellence in legal research and to provide a credible academic forum for the analysis, discussion, and advancement of contemporary legal issues. The journal encourages original, analytical, and well-researched contributions that add substantive value to legal scholarship.

The journal publishes scholarly works examining doctrinal, theoretical, empirical, and interdisciplinary perspectives of law. Submissions are welcomed from academicians, legal professionals, researchers, scholars, and students who demonstrate intellectual rigour, analytical clarity, and relevance to current legal and policy developments.

The scope of the journal includes, but is not limited to:

- Constitutional and Administrative Law
- Criminal Law and Criminal Justice
- Corporate, Commercial, and Business Laws
- Intellectual Property and Technology Law
- International Law and Human Rights
- Environmental and Sustainable Development Law
- Cyber Law, Artificial Intelligence, and Emerging Technologies
- Family Law, Labour Law, and Social Justice Studies

The journal accepts original research articles, case comments, legislative and policy analyses, book reviews, and interdisciplinary studies addressing legal issues at national and international levels. All submissions are subject to a rigorous double-blind peer-review process to ensure academic quality, originality, and relevance.

Through its publications, *White Black Legal – The Law Journal* seeks to foster critical legal thinking and contribute to the development of law as an instrument of justice, governance, and social progress, while expressly disclaiming responsibility for the application or misuse of published content.

अपराधीकरण बनाम संरक्षण: सरोगेसी अधिनियम 2021 का आलोचनात्मक अध्ययन

AUTHORED BY - DR. USHA PALHOEYA
Associate Professor, Oriental University, Indore

CO-AUTHOR - LALITA PINGLE
Associate Professor, Chameli Devi Institute of Law

सारांश

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 भारत में सरोगेसी को विनियमित करने का पहला व्यापक विधायी प्रयास है। इस अधिनियम ने वाणिज्यिक सरोगेसी को अपराधीकृत करते हुए केवल परोपकारी सरोगेसी को अनुमति प्रदान की है। यद्यपि अधिनियम का उद्देश्य सरोगेट माताओं के शोषण को रोकना है, किन्तु इसके प्रावधान अनेक मौलिक अधिकारों प्रजनन स्वायत्तता, समानता, और गोपनीयता को प्रतिबंधित करते हैं। अधिनियम एकल व्यक्तियों, LGBTQ+ समुदाय, और विधवा/तलाकशुदा महिलाओं को बहिष्कृत करता है, जो अनुच्छेद 14 और 21 के अधीन संवैधानिक समानता एवं गरिमा के उल्लंघन का प्रश्न उठाता है। यह शोधपत्र अपराधीकरण बनाम संरक्षण के द्वंद्व का आलोचनात्मक विश्लेषण करता है, तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों (यूके एवं यूएसए) के संदर्भ में सुधारात्मक सुझाव प्रस्तुत करता है।

मुख्य शब्द: *सरोगेसी अधिनियम 2021, अपराधीकरण, प्रजनन स्वायत्तता, मौलिक अधिकार, तुलनात्मक विधि*

1. प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

सरोगेसी एक ऐसी प्रजनन व्यवस्था है जिसमें एक महिला किसी अन्य व्यक्ति या दम्पति के लिए गर्भधारण करती है। भारत 2002 से 2015 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक सरोगेसी का प्रमुख केन्द्र रहा, जहाँ हज़ारों विदेशी दम्पति कम लागत पर सरोगेसी सेवाएँ प्राप्त करते थे।[1] इस अनियमित उद्योग में सरोगेट माताओं

[1]विधि आयोग, 228वीं रिपोर्ट, Need for Legislation to Regulate Assisted Reproductive Technology Clinics (भारत सरकार, 2009) अध्याय 3.

के व्यापक शोषण ने विधायी हस्तक्षेप को अनिवार्य बना दिया, जिसके परिणामस्वरूप सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया गया।[2]

1.2 अर्थ एवं प्रकृति

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 2(1)(zg) के अनुसार, "सरोगेसी" का तात्पर्य एक ऐसी प्रथा से है जिसमें एक महिला किसी इच्छुक दम्पति के लिए गर्भधारण करती है और प्रसव के पश्चात् शिशु को सौंप देती है।[3] अधिनियम सरोगेसी को दो प्रकारों में वर्गीकृत करता है: परोपकारी सरोगेसी (altruistic) जिसमें कोई मौद्रिक प्रतिफल नहीं होता; और वाणिज्यिक सरोगेसी (commercial) जिसे अधिनियम ने पूर्णतः अपराधीकृत कर दिया है।[4]

1.3 समस्या

अधिनियम का केन्द्रीय विरोधाभास यह है कि शोषण रोकने के नाम पर यह प्रजनन स्वायत्तता को ही समाप्त कर देता है एकल व्यक्तियों, LGBTQ+ समुदाय, और लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को सरोगेसी से पूर्णतः वंचित करता है।[5]

1.4 महत्व

यह अध्ययन इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिनियम प्रजनन अधिकारों, संवैधानिक समानता, और सरोगेट माता के श्रम अधिकारों के मध्य गम्भीर तनाव उत्पन्न करता है, जिसका समाधान अकादमिक विश्लेषण से ही सम्भव है।[6]

1.5 क्षेत्र

यह शोधपत्र सरोगेसी अधिनियम, 2021 के विधिक प्रावधानों, संवैधानिक वैधता, न्यायिक दृष्टिकोण, और तुलनात्मक अंतर्राष्ट्रीय मॉडलों तक सीमित है।[7]

[2]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), प्रस्तावना एवं धारा 1.
[3]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 2(1)(zg).
[4]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 3(1) — 10 वर्ष कारावास एवं ₹10 लाख जुर्माना.
[5]Anurag Kashyap, 'Commercial Surrogacy Ban in India: A Rights-Based Critique' (2022) 8 NLIU Law Review 44, 52.
[6]भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 14, 21.
[7]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), प्रस्तावना एवं धारा 1.

2. वैचारिक ढाँचा

2.1 अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा

हेग सम्मेलन (HCCH) सरोगेसी को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित करता है जिसमें एक महिला (सरोगेट माता) किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों (इच्छुक माता-पिता) के लिए गर्भधारण और प्रसव करने हेतु सहमत होती है, जिसमें जन्म के पश्चात् शिशु का अभिभावकत्व इच्छुक माता-पिता को हस्तांतरित होता है।[8] यह परिभाषा भारतीय अधिनियम की धारा 2(1)(zg) से मिलती-जुलती है किन्तु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी व्याख्या अधिक व्यापक है।[9]

2.2 तत्व: कृत्य-साधन-उद्देश्य

सरोगेसी के तीन आवश्यक तत्व हैं: (i) कृत्य गर्भधारण और प्रसव का सम्पूर्ण कार्य; (ii) साधन प्राकृतिक गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान (IUI), या इन-विट्रो फर्टिलाइज़ेशन (IVF); और (iii) उद्देश्य शिशु को इच्छुक माता-पिता को सौंपना।[10] भारतीय अधिनियम के अधीन केवल गेस्टेशनल सरोगेसी (जहाँ सरोगेट माता का शिशु से कोई आनुवंशिक सम्बन्ध नहीं होता) ही अनुमत है।[11]

2.3 प्रकार

सरोगेसी का वर्गीकरण दो अक्षों पर किया जाता है (अ) प्रतिफल के आधार पर: (i) *परोपकारी सरोगेसी*: बिना मौद्रिक प्रतिफल के, सामान्यतः परिवार के सदस्य द्वारा भारत में केवल यही वैध है;[12] (ii) *वाणिज्यिक सरोगेसी*: मौद्रिक प्रतिफल के बदले अधिनियम ने इसे 10 वर्ष कारावास और ₹10 लाख जुर्माने से अपराधीकृत किया है।[13]

(ब) आनुवंशिक सम्बन्ध के आधार पर: (iii) *गेस्टेशनल सरोगेसी*: IVF द्वारा सरोगेट माता का शिशु से कोई आनुवंशिक सम्बन्ध नहीं अधिनियम के अधीन अनिवार्य शर्त;[14] (iv) *ट्रेडिशनल सरोगेसी*: सरोगेट माता के अण्डाणु का उपयोग अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित, क्योंकि इससे अभिभावकत्व विवाद उत्पन्न होते हैं।[15]

---

[8]Hague Conference on Private International Law, Report on Parentage/Surrogacy Project (HCCH, 2023) paras 12–18.
[9]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 2(1)(zg).
[10]Indian Council of Medical Research, National Guidelines for Accreditation, Supervision & Regulation of ART Clinics in India (ICMR, 2006) pp 12–18.
[11]सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 2, 21, 26.
[12]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 4 — पात्रता शर्तें.
[13]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 3(1) — 10 वर्ष कारावास एवं ₹10 लाख जुर्माना.
[14]सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 2, 21, 26.
[15]Indian Council of Medical Research, National Guidelines for Accreditation, Supervision & Regulation of ART Clinics in India (ICMR, 2006) pp 12–18.

3. अंतर्राष्ट्रीय विधिक ढाँचा

3.1 मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (UDHR), 1948

अनुच्छेद 1 (गरिमा), अनुच्छेद 3 (जीवन, स्वतंत्रता), और अनुच्छेद 16 (परिवार का अधिकार) सरोगेसी के संदर्भ में प्रजनन स्वायत्तता के नैतिक आधार प्रदान करते हैं।[16]

3.2 CEDAW, 1979

CEDAW का अनुच्छेद 12 महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की रक्षा करता है, जबकि अनुच्छेद 16 परिवार नियोजन में समान अधिकार प्रदान करता है।[17]

3.3 बाल अधिकार सम्मेलन (CRC), 1989

अनुच्छेद 3 (बाल हित सर्वोपरि), अनुच्छेद 7 (पहचान का अधिकार), और अनुच्छेद 35 (बिक्री/व्यापार पर प्रतिबंध) सरोगेसी से उत्पन्न बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।[18]

3.4 हेग सम्मेलन अभिभावकत्व/सरोगेसी परियोजना (HCCH)

HCCH वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सरोगेसी व्यवस्थाओं के लिए एक बहुपक्षीय संधि पर कार्य कर रहा है जो अभिभावकत्व की मान्यता, बच्चे की राष्ट्रीयता, और सरोगेट माता की सहमति के मानक स्थापित करेगी।[19]

4. राष्ट्रीय विधिक ढाँचा

4.1 संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) सरोगेसी अधिकार में एकल व्यक्तियों और LGBTQ+ समुदाय के साथ भेदभाव के प्रश्न से सम्बद्ध है। अनुच्छेद 21 (प्राण और दैहिक स्वतंत्रता) के अधीन सर्वोच्च न्यायालय ने *Puttaswamy* (2017) में प्रजनन स्वायत्तता को मौलिक अधिकार का अंग माना।[20] अनुच्छेद 23 बलात्श्रम और मानव व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, जो वाणिज्यिक सरोगेसी में शोषण के विरुद्ध संवैधानिक आधार प्रदान करता है।[21]

---

[16]Universal Declaration of Human Rights (1948) arts 1, 3, 16.
[17]Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (1979) arts 12, 16.
[18]Convention on the Rights of the Child (1989) arts 3, 7, 8, 35.
[19]Hague Conference on Private International Law, Report on Parentage/Surrogacy Project (HCCH, 2023) paras 12–18.
[20]Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017) 10 SCC 1 (सर्वोच्च न्यायालय) पैरा 169 (Chandrachud J) — प्रजनन स्वायत्तता मौलिक अधिकार का अंग.
[21]भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 14, 21.

4.2 सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021

अधिनियम वाणिज्यिक सरोगेसी को अपराधीकृत करता है (धारा 3), पात्रता शर्तें निर्धारित करता है (धारा 4), राष्ट्रीय एवं राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है (धारा 15, 24), और सरोगेसी क्लिनिकों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है (धारा 7)।[22]

4.3 सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2021

ART अधिनियम, 2021 सरोगेसी अधिनियम का पूरक विधान है जो ART क्लिनिकों के विनियमन, युग्मक बैंकों के पंजीकरण, और प्रजनन प्रक्रियाओं के मानकीकरण का प्रावधान करता है।[23]

4.4 ICMR दिशा-निर्देश, 2006

ICMR के 2006 के दिशा-निर्देश भारत में सरोगेसी को विनियमित करने का प्रथम प्रयास थे ये गैर-बाध्यकारी होने के कारण व्यापक शोषण को रोकने में विफल रहे।[24]

4.5 विधि आयोग 228वीं रिपोर्ट

228वीं रिपोर्ट ने वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध और विनियामक ढाँचे की सिफारिश की अधिनियम इसी रिपोर्ट पर आधारित है।[25]

5. न्यायिक दृष्टिकोण

5.1 Baby Manji Yamada v. Union of India (2008)

सर्वोच्च न्यायालय ने एक जापानी दम्पति की सरोगेसी के मामले में शिशु को पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने भारत में सरोगेसी के विधायी विनियमन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।[26]

5.2 Jan Balaz v. Anand Municipality (2010)

सर्वोच्च न्यायालय ने सरोगेसी से उत्पन्न जुड़वाँ बच्चों की राष्ट्रीयता और अभिभावकत्व के प्रश्न पर विचार

---

[22]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 15 (राष्ट्रीय बोर्ड), धारा 24 (राज्य बोर्ड), धारा 7 (पंजीकरण).
[23]सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 2, 21, 26.
[24]Indian Council of Medical Research, National Guidelines for Accreditation, Supervision & Regulation of ART Clinics in India (ICMR, 2006) pp 12–18.
[25]विधि आयोग, 228वीं रिपोर्ट, Need for Legislation to Regulate Assisted Reproductive Technology Clinics (भारत सरकार, 2009) अध्याय 3.
[26]Baby Manji Yamada v. Union of India (2008) 13 SCC 518 (सर्वोच्च न्यायालय).

 ISSN: 2581-8503

किया। न्यायालय ने कहा कि सरोगेसी पर व्यापक विधान का अभाव बच्चों के अधिकारों को खतरे में डालता है।[27]

5.3 Navtej Singh Johar v. Union of India (2018)

सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 IPC को असंवैधानिक घोषित करते हुए LGBTQ+ समुदाय की गरिमा और समानता को मान्यता दी।[28]

5.4 Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India (2023)

सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह की कानूनी मान्यता को अस्वीकार किया, किन्तु साथी चयन और सहवास के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया। न्यायालय ने विधायिका को LGBTQ+ अधिकारों पर विधायी कार्रवाई का निर्देश दिया।[29]

चित्र 1: सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 संरचनात्मक ढाँचा

तालिका 1: सरोगेसी अधिनियम 2021 अपराधीकरण बनाम संरक्षण विश्लेषण

प्रावधान	अपराधीकरण पक्ष	संरक्षण पक्ष	मूल्यांकन
वाणिज्यिक सरोगेसी (धारा 3)	10 वर्ष कारावास + ₹10 लाख	सरोगेट माता का शोषण रोकना	अत्यधिक दंडात्मक

[27] Jan Balaz v. Anand Municipality (2010) 9 SCC 373 (सर्वोच्च न्यायालय).
[28] नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) 10 SCC 1 (सर्वोच्च न्यायालय) पैरा 253 (Chandrachud J) — गरिमा एवं समानता.
[29] Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India (2023) 5 SCC 143 (सर्वोच्च न्यायालय) — समलैंगिक विवाह की मान्यता अस्वीकृत, किन्तु साथी चयन एवं सहवास का अधिकार मान्य.

विज्ञापन (धारा 3(2))	5 वर्ष कारावास + ₹5 लाख	सूचना शोषण रोकना	अभिव्यक्ति पर अंकुश
पात्रता (धारा 4)	विवाहित दम्पति + 5 वर्ष	एकल/LGBTQ+ बहिष्कृत	भेदभावपूर्ण
बीमा (धारा 4(iii)(b))	36 माह बीमा अनिवार्य	सरोगेट स्वास्थ्य सुरक्षा	अपर्याप्त कवरेज
राष्ट्रीय बोर्ड (धारा 15)	निगरानी/पंजीकरण	मानक स्थापना	गठन में विलंब

स्रोत: सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021; सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022; 228वीं विधि आयोग रिपोर्ट.

6. मानवाधिकार उल्लंघन

6.1 प्रजनन स्वायत्तता का उल्लंघन (अनुच्छेद 21)

सर्वोच्च न्यायालय ने *Puttaswamy* (2017) में प्रजनन स्वायत्तता को अनुच्छेद 21 के अधीन मौलिक अधिकार माना। सरोगेसी अधिनियम एकल व्यक्तियों और LGBTQ+ दम्पतियों को सरोगेसी से पूर्णतः वंचित करके इस अधिकार का सीधा उल्लंघन करता है।[30]

6.2 समानता के अधिकार का उल्लंघन (अनुच्छेद 14)

अधिनियम की पात्रता शर्तें विवाहित दम्पति, 5 वर्ष विवाह, चिकित्सा प्रमाणपत्र वैवाहिक स्थिति, यौन अभिविन्यास, और लिंग के आधार पर भेदभाव करती हैं, जो अनुच्छेद 14 के "युक्तियुक्त वर्गीकरण" परीक्षण (*Ram Krishna Dalmia* सिद्धांत) में विफल होती हैं वर्गीकरण का अधिनियम के उद्देश्य (शोषण रोकथाम) से कोई युक्तिसंगत सम्बन्ध नहीं है।[31]

6.3 सरोगेट माता के श्रम अधिकार

परोपकारी सरोगेसी मॉडल सरोगेट माता के गर्भधारण, प्रसव, और शारीरिक जोखिम के श्रम को पूर्णतः अमूल्यांकित छोड़ता है। केवल बीमा कवरेज प्रदान करना—बिना किसी मुआवज़े के—सरोगेट माता के शारीरिक श्रम का अपमान है, जो आर्थिक शोषण का एक सूक्ष्म रूप है।[32]

[30] Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017) 10 SCC 1 (सर्वोच्च न्यायालय) पैरा 169 (Chandrachud J) — प्रजनन स्वायत्तता मौलिक अधिकार का अंग.
[31] भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 14, 21.
[32] Amrita Pande, Wombs in Labor: Transnational Commercial Surrogacy in India (Columbia University Press, 2014) pp 45–52.

6.4 बच्चे के अधिकारों का प्रश्न

अधिनियम सरोगेसी से उत्पन्न बच्चे के अभिभावकत्व, राष्ट्रीयता, और उत्तराधिकार अधिकारों पर पर्याप्त स्पष्टता प्रदान नहीं करता। CRC के अनुच्छेद 7 (पहचान का अधिकार) और अनुच्छेद 8 (राष्ट्रीयता का अधिकार) के अधीन यह एक गम्भीर विधिक अंतराल है जो बच्चे को राज्यविहीनता के जोखिम में डालता है, जैसा *Jan Balaz* मामले में देखा गया।[33]

7. संरचनात्मक एवं विधिक चुनौतियाँ

7.1 अत्यधिक अपराधीकरण

वाणिज्यिक सरोगेसी के लिए 10 वर्ष कारावास और ₹10 लाख जुर्माने का दण्ड निर्धारित किया गया है यह दण्ड भारतीय दण्ड विधान में हत्या के प्रयास (BNS धारा 109) के दण्ड के बराबर है।[34]

7.2 LGBTQ+ बहिष्करण: विधायी जड़ता

Navtej Johar (2018) और *Supriyo* (2023) निर्णयों के पश्चात् भी विधायिका ने अधिनियम में LGBTQ+ समावेशन हेतु कोई संशोधन नहीं किया। यह न्यायिक घोषणाओं और विधायी कार्रवाई के मध्य संस्थागत विच्छेद को दर्शाता है न्यायालय अधिकार मान्य करता है, किन्तु विधायिका उन अधिकारों को विधायी संरचना में समाहित करने से इनकार करती है।[35]

7.3 बोर्ड गठन में विलंब

अधिनियम 2022 में लागू हुआ किन्तु अधिकांश राज्यों में राज्य सरोगेसी बोर्ड का गठन नहीं हुआ है, जिससे निगरानी और विनियमन व्यावहारिक रूप से शून्य है।[36]

7.4 विवाद समाधान तंत्र का अभाव

अधिनियम में सरोगेसी से उत्पन्न विवादों अभिभावकत्व, सहमति वापसी, शिशु अस्वीकृति के लिए कोई विशेष न्यायिक तंत्र नहीं है, जिससे पक्षकार सामान्य दीवानी न्यायालयों में वर्षों तक विलम्बित रहते हैं।[37]

---

[33]Convention on the Rights of the Child (1989) arts 3, 7, 8, 35.
[34]सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 3(1) — 10 वर्ष कारावास एवं ₹10 लाख जुर्माना.
[35]Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India (2023) 5 SCC 143 (सर्वोच्च न्यायालय) — समलैंगिक विवाह की मान्यता अस्वीकृत, किन्तु साथी चयन एवं सहवास का अधिकार मान्य.
[36]संसदीय स्थायी समिति, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 पर 102वीं रिपोर्ट (राज्य सभा, 2020) पैरा 4.1–4.8.
[37]Usha Rengachary Smerdon, 'Crossing Bodies, Crossing Borders: International Surrogacy Between the United States and India' (2008) 39 Cumberland Law Review 15, 22.

7.5 अंतर्राष्ट्रीय सरोगेसी का अनसुलझा प्रश्न

अधिनियम विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है किन्तु अंतर्राष्ट्रीय सरोगेसी से उत्पन्न बच्चों की राष्ट्रीयता, नागरिकता, और अभिभावकत्व पर कोई संक्रमणकालीन प्रावधान नहीं है।[38]

7.6 सामाजिक-आर्थिक आयाम

परोपकारी सरोगेसी का मॉडल व्यावहारिक रूप से निम्न-आय वर्ग की महिलाओं पर अनुचित बोझ डालता है परिवारिक दबाव के कारण सहमति की स्वैच्छिकता प्रश्नगत होती है। "परोपकार" और "शोषण" के मध्य की सीमारेखा अत्यन्त धूमिल है, विशेषकर भारतीय संयुक्त परिवार संरचना में जहाँ पितृसत्तात्मक दबाव सरोगेट माता की सच्ची सहमति को कमज़ोर करता है।[39]

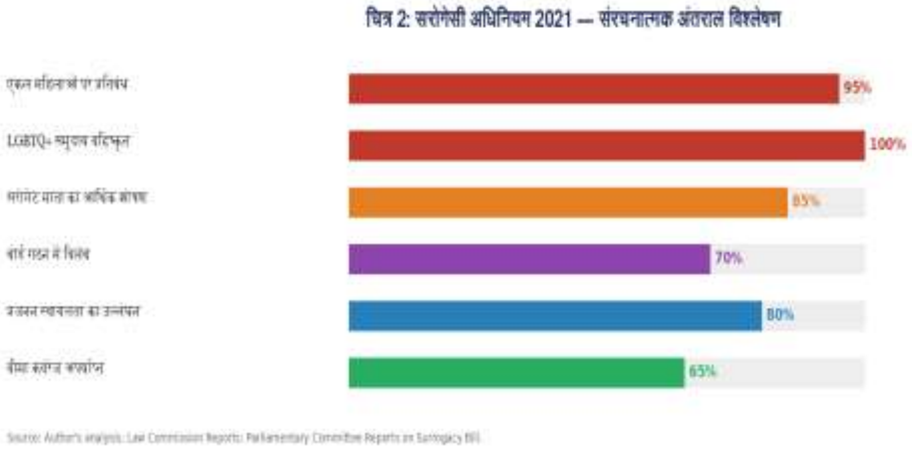

चित्र 2: सरोगेसी अधिनियम 2021 संरचनात्मक अंतराल विश्लेषण

तालिका 2: संरचनात्मक अंतराल, विधायी स्थिति, प्रभाव, और सुधार आवश्यक

संरचनात्मक अंतराल	विधायी स्थिति	प्रभाव	सुधार आवश्यक
एकल महिला/पुरुष बहिष्कृत	धारा 2(1)(zg) केवल विवाहित	प्रजनन अधिकार उल्लंघन	समावेशी संशोधन
LGBTQ+ बहिष्करण	नवतेज जौहर एवं Supriyo के बावजूद	अनुच्छेद 14 उल्लंघन	समलैंगिक दम्पतियों को शामिल करें

[38]Hague Conference on Private International Law, Report on Parentage/Surrogacy Project (HCCH, 2023) paras 12–18.
[39]Kalpana Sharma, 'Surrogacy and the Indian State: Legislative Response to Reproductive Labour' (2020) 62 Journal of the Indian Law Institute 188, 195.

सरोगेट का आर्थिक शोषण	केवल बीमा; कोई मुआवज़ा नहीं	निर्धन महिलाओं पर बोझ	उचित मुआवज़ा तंत्र
बोर्ड गठन विलंब	अधिनियम लागू, बोर्ड अगठित	निगरानी शून्य	समयबद्ध गठन अनिवार्य
विवाद समाधान अनुपस्थित	कोई विशेष न्यायालय नहीं	न्याय में विलंब	विशेष पीठ स्थापित करें

स्रोत: सरोगेसी अधिनियम 2021; संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट (2020); NHRC प्रेक्षण (2021); Supriyo (2023).

8. आलोचनात्मक विश्लेषण

8.1 विधि बनाम कार्यान्वयन अंतराल

व्यापक विधायी ढाँचे के बावजूद, अधिनियम का कार्यान्वयन गम्भीर रूप से दोषपूर्ण है। राज्य बोर्ड अगठित हैं, क्लिनिक पंजीकरण अपूर्ण है, और दण्डात्मक प्रावधानों का वास्तविक प्रवर्तन नगण्य है। विधायी आकांक्षा और संस्थागत वास्तविकता के मध्य का यह अंतराल अधिनियम के मूल उद्देश्य सरोगेट माता का संरक्षण को ही विफल करता है।[40]

8.2 अपराधीकरण का अनुपातिकता प्रश्न

10 वर्ष कारावास का दण्ड संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के अधीन अनुपातिकता परीक्षण में विफल होता है। *Puttaswamy* में स्थापित सिद्धांत के अनुसार किसी भी मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध न्यूनतम प्रतिबंधात्मक साधन से ही लगाया जाना चाहिए सरोगेसी को विनियमित करने के लिए अपराधीकरण नहीं, बल्कि विनियामक ढाँचा पर्याप्त है।[41] अनुच्छेद 19(1)(g) के अधीन व्यापार और वृत्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न भी उठता है *Coelho v. State of Tamil Nadu* (2007) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकारों पर विधायी प्रतिबंध को युक्तियुक्तता परीक्षण उत्तीर्ण करना होगा।[42]

[40] संसदीय स्थायी समिति, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 पर 102वीं रिपोर्ट (राज्य सभा, 2020) पैरा 4.1–4.8.
[41] Anurag Kashyap, 'Commercial Surrogacy Ban in India: A Rights-Based Critique' (2022) 8 NLIU Law Review 44, 52.
[42] भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 19(1)(g); Coelho v. State of Tamil Nadu (2007) 2 SCC 1 (सर्वोच्च न्यायालय) पैरा 45 — मौलिक अधिकारों पर विधायी प्रतिबंध की सीमा.

8.3 पुनर्वास और मुआवज़ा अनुपस्थिति

अधिनियम सरोगेट माता के लिए प्रसव-पश्चात् पुनर्वास, मनोवैज्ञानिक सहायता, या आर्थिक मुआवज़े का कोई प्रावधान नहीं करता। 36 माह का बीमा कवरेज अपर्याप्त है गर्भावस्था से उत्पन्न दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, अवसाद) को यह कवर नहीं करता। संरक्षण का दावा करने वाला अधिनियम वास्तव में सरोगेट माता को सबसे कमज़ोर स्थिति में छोड़ देता है।[43]

8.4 लैंगिक पूर्वाग्रह

अधिनियम का सम्पूर्ण ढाँचा विवाहित विषमलैंगिक दम्पति को आदर्श मानता है यह पितृसत्तात्मक परिवार मॉडल को विधायी वैधता प्रदान करता है। 2024 के संशोधन नियमों के पश्चात् विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को सरोगेसी अनुमत की गई है, किन्तु एकल पुरुष और LGBTQ+ दम्पति अभी भी बहिष्कृत हैं।[44] यह बहिष्करण लैंगिक न्याय की अवधारणा से पूर्णतः विपरीत है।[45]

8.5 समन्वय विफलता

सरोगेसी अधिनियम और ART अधिनियम के मध्य समन्वय अपर्याप्त है। दोनों अधिनियम अलग-अलग बोर्ड, अलग-अलग पंजीकरण, और अलग-अलग दण्ड प्रावधान करते हैं यह विनियामक विखण्डन क्लिनिकों और सरोगेट माताओं दोनों के लिए भ्रम और अनुपालन बोझ उत्पन्न करता है। एकीकृत विनियामक प्राधिकरण की अनुपस्थिति सम्पूर्ण ढाँचे को कमज़ोर करती है।[46]

9. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

9.1 यूनाइटेड किंगडम

ब्रिटेन में Surrogacy Arrangements Act, 1985 वाणिज्यिक सरोगेसी पर प्रतिबंध लगाता है किन्तु सरोगेट माता को कानूनी माता मानता है जब तक Parental Order प्राप्त नहीं होता। सरोगेट माता को "उचित खर्च" की अनुमति है यह भारत के शून्य-मुआवज़ा मॉडल से भिन्न और अधिक संतुलित दृष्टिकोण है। ब्रिटिश विधि आयोग ने 2023 में सुधार की सिफारिश की जिसमें Pre-birth Parental Order और LGBTQ+ समावेशन शामिल है।[47]

---

[43]Amrita Pande, Wombs in Labor: Transnational Commercial Surrogacy in India (Columbia University Press, 2014) pp 45–52.
[44]सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2024 (भारत), अधिसूचना सं. G.S.R. 165(E), दिनांक 14 मार्च 2024 — विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को सरोगेसी अनुमत.
[45]Kalpana Sharma, 'Surrogacy and the Indian State: Legislative Response to Reproductive Labour' (2020) 62 Journal of the Indian Law Institute 188, 195.
[46]सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (भारत), धारा 2, 21, 26.
[47]Surrogacy Arrangements Act 1985 (UK); Human Fertilisation and Embryology Act 2008 (UK), s 54; UK Law

9.2 संयुक्त राज्य अमेरिका

अमेरिका में सरोगेसी का विनियमन राज्य-स्तरीय है। कैलिफोर्निया जैसे राज्यों में वाणिज्यिक सरोगेसी वैध है, Pre-birth Order प्रणाली कार्यरत है, और LGBTQ+ दम्पतियों को समान अधिकार प्राप्त हैं। यह मॉडल व्यक्तिगत स्वायत्तता और अनुबंध स्वतंत्रता पर आधारित है भारत के अपराधीकरण दृष्टिकोण से मौलिक रूप से भिन्न।[48]

9.3 भारत के लिए सीख

भारत को ब्रिटेन के "उचित खर्च" मॉडल और अमेरिका के LGBTQ+ समावेशन से सीख लेनी चाहिए पूर्ण अपराधीकरण के स्थान पर विनियामक ढाँचा, सरोगेट माता को उचित मुआवज़ा, और संवैधानिक समानता के अनुरूप समावेशी पात्रता शर्तें अपनानी चाहिए।[49]

चित्र3: तुलनात्मक सरोगेसी विनियमन मॉडल यूके, यूएसए, और भारत

तालिका 3: क्षेत्राधिकार तुलना यूके, यूएसए, और भारत

मानदंड	यूनाइटेड किंगडम	संयुक्त राज्य अमेरिका	भारत (2021)
विधायी आधार	SAA 1985; HFEA 2008	राज्य-स्तरीय (UPA 2017)	सरोगेसी अधिनियम 2021 (केंद्रीय)

Commission, Building Families through Surrogacy: A New Law (Law Com No 399, 2023).
[48]Uniform Parentage Act 2017 (US), Article 8; California Family Code, s 7960–7962.
[49]Usha Rengachary Smerdon, 'Crossing Bodies, Crossing Borders: International Surrogacy Between the United States and India' (2008) 39 Cumberland Law Review 15, 22.

वाणिज्यिक सरोगेसी	प्रतिबंधित	अनुमत (कुछ राज्य)	अपराधीकृत (10 वर्ष)
LGBTQ+ अधिकार	Parental Order उपलब्ध	समावेशी (कुछ राज्य)	पूर्णतः बहिष्कृत
सरोगेट माता स्थिति	कानूनी माता (जन्म तक)	अनुबंध-आधारित	सीमित अधिकार
मुआवज़ा	उचित खर्च अनुमत	बाज़ार-आधारित	शून्य (केवल बीमा)
निगरानी	HFEA (स्वतंत्र)	राज्य एजेंसियाँ	बोर्ड (अगठित)

स्रोत: Surrogacy Arrangements Act 1985 (UK); Uniform Parentage Act 2017 (US); सरोगेसी अधिनियम 2021 (भारत).

10. निष्कर्ष एवं सुझाव

10.1 निष्कर्ष

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 सरोगेट माताओं के शोषण को रोकने का एक आवश्यक किन्तु अपूर्ण विधायी प्रयास है। अधिनियम ने अपराधीकरण और संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित करने में विफलता प्रदर्शित की है अत्यधिक दण्डात्मक प्रावधान, LGBTQ+ बहिष्करण, सरोगेट माता के शून्य मुआवज़े, और अगठित बोर्ड विधायी आकांक्षा और संस्थागत वास्तविकता के मध्य गहरी खाई को उजागर करते हैं।[50]

10.2 सुझाव

i. एकल व्यक्तियों और LGBTQ+ दम्पतियों को सरोगेसी का अधिकार प्रदान करने हेतु अधिनियम में संशोधन किया जाए *Navtej Johar* एवं *Supriyo* निर्णयों का तार्किक विस्तार।[51]

ii. सरोगेट माता को उचित आर्थिक मुआवज़ा, प्रसव-पश्चात् स्वास्थ्य देखभाल, और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने का वैधानिक अधिकार स्थापित किया जाए।[52]

iii. राज्य सरोगेसी बोर्डों का समयबद्ध गठन अनिवार्य किया जाए, विलम्ब पर दायित्व निर्धारित किया

[50]Anurag Kashyap, 'Commercial Surrogacy Ban in India: A Rights-Based Critique' (2022) 8 NLIU Law Review 44, 52.
[51]Supriyo @ Supriya Chakraborty v. Union of India (2023) 5 SCC 143 (सर्वोच्च न्यायालय) — समलैंगिक विवाह की मान्यता अस्वीकृत, किन्तु साथी चयन एवं सहवास का अधिकार मान्य.
[52]Amrita Pande, Wombs in Labor: Transnational Commercial Surrogacy in India (Columbia University Press, 2014) pp 45–52.

जाए।[53]

iv. सरोगेसी विवादों के शीघ्र समाधान हेतु विशेष पीठ/फास्ट-ट्रैक न्यायालय स्थापित किए जाएँ।[54]

v. दण्ड प्रावधानों की अनुपातिकता समीक्षा की जाए 10 वर्ष कारावास अत्यधिक है।[55]

10.3 व्यापक निहितार्थ

सरोगेसी विनियमन अंततः इस प्रश्न का उत्तर है कि भारतीय राज्य प्रजनन अधिकारों, महिला श्रम गरिमा, और परिवार की बहुलतावादी अवधारणा को किस सीमा तक मान्यता देता है।[56]

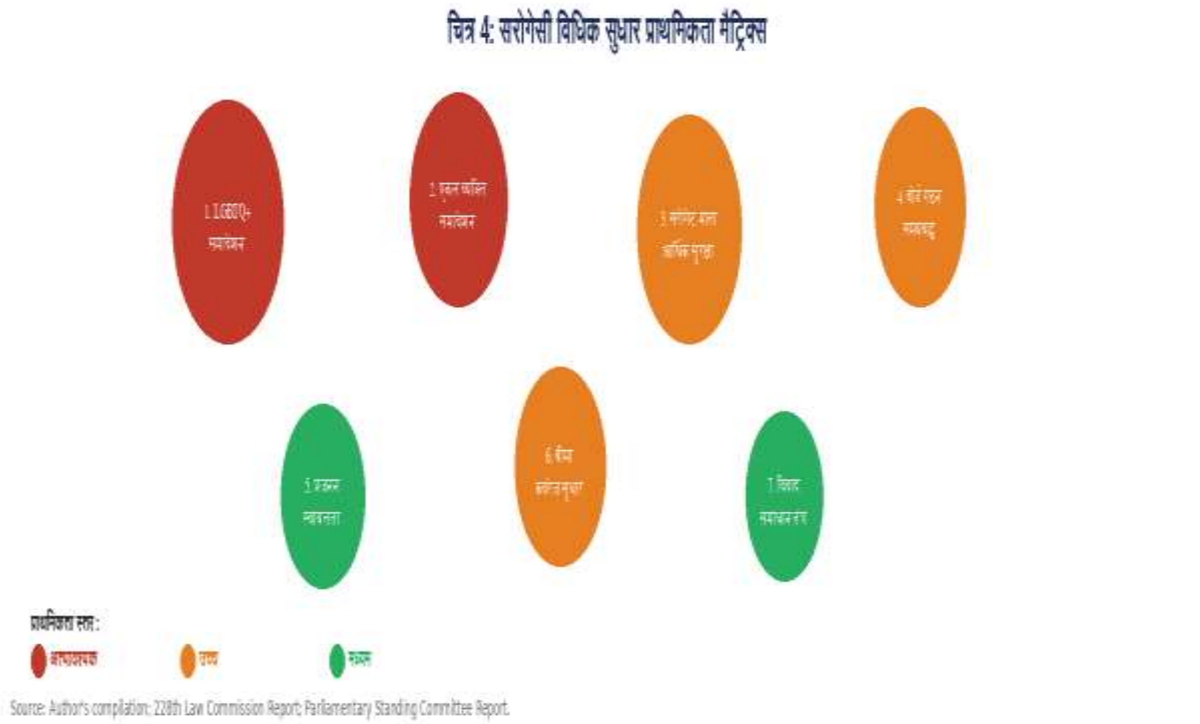

चित्र 4: सरोगेसी विधिक सुधार प्राथमिकता मैट्रिक्स

तालिका 4: प्रमुख सुझाव, तर्क, और कार्यान्वयन प्राधिकरण

क्र.	सुझाव	तर्क	कार्यान्वयन प्राधिकरण
1	एकल व्यक्तियों को सरोगेसी अनुमत करें	प्रजनन स्वायत्तता अनुच्छेद 21 का अंग	संसद (संशोधन)

[53]संसदीय स्थायी समिति, सरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2019 पर 102वीं रिपोर्ट (राज्य सभा, 2020) पैरा 4.1–4.8.
[54]विधि आयोग, 228वीं रिपोर्ट, Need for Legislation to Regulate Assisted Reproductive Technology Clinics (भारत सरकार, 2009) अध्याय 3.
[55]भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 14, 21.
[56]National Human Rights Commission, Observations on Surrogacy Regulation (NHRC, 2021) pp 4–8.

ISSN: 2581-8503

2	LGBTQ+ दम्पतियों को शामिल करें	नवतेज जौहर एवं Supriyo निर्णय का विस्तार	संसद (संशोधन)
3	सरोगेट माता को उचित मुआवज़ा	श्रम का सम्मान; शोषण रोकथाम	स्वास्थ्य मंत्रालय
4	बोर्ड गठन समयबद्ध करें	निगरानी तंत्र सक्रिय करना	राज्य सरकारें
5	विवाद समाधान हेतु विशेष पीठ	त्वरित न्याय; संवेदनशील मामले	सर्वोच्च/उच्च न्यायालय

स्रोत: लेखकों का संकलन; विधि आयोग 228वीं रिपोर्ट; संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट; NHRC प्रेक्षण (2021); Supriyo (2023).

WHITE BLACK LEGAL